रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2004/फाल्गुन 6, 1925
No. 200] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2004/PHALGUNA 6, 1925

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 238(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1 मई, 2004 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6(क), 12(1)(ख), 12(2), 13(1)(ख), 13(2), 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तथा 31 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. पी-16011/2/2003-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 238(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints 1st day of May, 2004 as the date on which the provisions of Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6(a), 12(1)(b), 12(2), 13(1)(b), 13(2), 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of the said Act shall come into force.

[F. No. P-16011/2/2003-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

621 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2004/फाल्गुन 6, 1925

No. 93] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2004/PHALGUNA 6, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 137(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) नियम, 2004 है।

(2) ये पहली मई, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा** :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,—

(क) ''अधिनियम'' से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है

(ग) अधिनियम की धारा 3(ठ) में उल्लिखित "खुले स्थान" में ऐसा कोई भी स्थान जहां जनता का आना-जाना होता है, जैसे खुला आडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप और ऐसे अन्य स्थान शामिल नहीं होंगे; और

(घ) इसमें प्रयुक्त और इन नियमों में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ अधिनियम में क्रमश: दिए गए उनके अर्थ होंगे।

3. **लोक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध.**—(1) लोक स्थान के कार्यकलापों का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी भारतीय भाषा (भाषाओं), जो लागू हो, में साठ सें.मी. × तीस सें.मी. के न्यूनतम आकार का स्पष्ट अक्षरों में कम से कम एक बोर्ड सार्वजनिक स्थान के प्रवेश पर और एक बोर्ड अन्दर प्रमुख स्थान (स्थानों) पर प्रदर्शित करेगा जिस पर यह चेतावनी कि "गैर-धूम्रपान क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना अपराध है" दी गई हो।

(2) तीस कमरों वाले होटल अथवा तीस अथवा अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता रखने वाले रेस्तरां के मालिक अथवा प्रबंधक अथवा इनके कार्यकलापों के प्रभारी तथा विमानपत्तन के प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि,—

(i) धूम्रपान तथा गैर-धूम्रपान क्षेत्र भौतिक रूप से अलग किए गए हैं;

(ii) धूम्रपान क्षेत्र इस तरह स्थित होगा कि लोगों को गैर-धूम्रपान क्षेत्र में पहुंचने के लिए इससे गुजरने की आवश्यकता नहीं हो; तथा

(iii) प्रत्येक क्षेत्र में बोर्ड होंगे जिन पर "धूम्रपान क्षेत्र/गैर-धूम्रपान क्षेत्र" दर्शाया जाएगा।

4. **सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध.**—(1) गोदाम अथवा दुकान, जहां सिगरेट तथा कोई अन्य ऐसे तम्बाकू उत्पाद वितरण अथवा बिक्री हेतु दिए जाते हैं, के प्रवेश-द्वार अथवा इसके भीतर दर्शाए गए सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड का आकार नब्बे सेंटीमीटर × साठ सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा और ऐसे बोर्डों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर भारतीय भाषा जो लागू हो, में निम्नलिखित चेतावनियों में से एक चेतावनी होगी, जो बोर्ड के शीर्ष भाग के पच्चीस प्रतिशत क्षेत्र में होगी, अर्थात् :—

(i) तम्बाकू से कैंसर होता है, अथवा

(ii) तम्बाकू से मौत होती है

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित बोर्ड में तम्बाकू उत्पाद का केवल ब्रान्ड नाम अथवा चित्र होगा और कोई अन्य प्रोत्साहक संदेश तथा चित्र नहीं होगा।

5. **नाबालिगों को बिक्री का प्रतिषेध.**—(1) उस स्थान का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा कार्यकलापों का प्रभारी, जहां सिगरेटों एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जाती है, प्रमुख स्थान (स्थानों) पर साठ सेंटीमीटर × तीस सेंटीमीटर न्यूनतम आकार का एक बोर्ड प्रदर्शित करेगी जिसमें भारतीय भाषा (भाषाओं), जो लागू हो, में चेतावनी "अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है" दी जाएगी।

(2) इस बात को साबित करने का दायित्व कि तम्बाकू उत्पाद का खरीदार नाबालिग नहीं है, तम्बाकू उत्पादों के विक्रेता पर होगा। संदेह की स्थिति में विक्रेता तम्बाकू खरीदार से अठारह वर्ष की उम्र होने का उपयुक्त साक्ष्य देने का अनुरोध कर सकता है।

[फा. सं. पी-16011/2/2003-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the 1st day of May, 2004.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution Act, 2003;

(b) "section" means a section of the Act;

(c) "open space" mentioned in Section 3(l) of the Act shall not include any place visited by the public such as open auditorium, stadium, railway station, bus stop and such other places; and

(d) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. **Prohibition of smoking in a public place.**—(1) The owner or the manager or in charge of the affairs of a public place shall cause to be displayed prominently a board, of a minimum size of sixty centimetre by thirty centimetre in the Indian language(s) as applicable, at least one at the entrance of the public place and one at conspicuous place(s) inside, containing the warning "No Smoking Area—Smoking Here is an Offence".

(2) The owner or the manager or in charge of the affairs of a hotel having thirty rooms or restaurant having seating capacity of thirty persons or more and the manager of the airport shall ensure that,—

(i) the smoking and non-smoking areas are physically segregated;

(ii) the smoking area shall be located in such manner that the public is not required to pass through it in order to reach the non-smoking area; and

(iii) each area shall contain boards indicating thereon "Smoking Area/Non-Smoking Area".

4. **Prohibition of advertisement of cigarette and other tobacco products.**—(1) The size of the board used for advertisement for cigarettes and any other tobacco products displayed at the entrance or inside a warehouse or a shop where cigarettes and any other such tobacco products are offered for distribution or sale shall not exceed ninety centimetre by sixty centimetre and number of such boards shall not exceed two.

(2) Each such board shall contain in the Indian language as applicable, one of the following warnings occupying twenty-five per cent, of top area of the board, namely :—

(i) Tobacco Causes Cancer, or

(ii) Tobacco Kills.

(3) The board referred to in sub-rule (2) shall contain only the brand name or picture of the tobacco product and no other promotional message and picture.

5. **Prohibition of sale to minors.**—(1) The owner or the manager or the incharge of the affairs of a place where cigarettes and other tobacco products are sold shall display a board of minimum size of sixty centimetre by thirty centimetre at conspicuous place(s) containing the warning "Sale of tobacco products to a person under the age of eighteen years is a punishable offence", in Indian language(s) as applicable.

(2) The onus of proof that the buyer of the tobacco product is not a minor lies with the seller of the tobacco products. The seller, in case of doubt, may request tobacco purchaser to provide appropriate evidence of having reached eighteen years of age.

[F. No. P-16011/2/2003-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.